भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1997

उत्तर देने की तारीख : 11.12.2025

एमएसएमई क्षेत्र का पुनरुद्धार

1997. श्री ए. राजा :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों से संकट का सामना कर रहे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पुनरूद्धार करने में सहायता के लिए विद्यमान योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का एमएसएमई क्षेत्र को उनकी कार्यशील पूंजी के लिए संपार्श्विक-मुक्त सावधि ऋण प्रदान करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एमएसएमई को विकसित होने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सहायता देने के लिए वित्तपोषण, नियामक परिवर्तनों और प्रौद्योगिकी सहायता को शामिल करते हुए कोई पैकेज तैयार किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में और विशेषकर तमिलनाडु में कितनी एमएसएमई इकाइयाँ लाभान्वित हुई हैं और कितने रोज़गार का सृजन हुआ है; और

(ङ) घरेलू बाजार और वैश्विक स्तर पर विभिन्न विभागों के उत्पादों के विपणन को सुगम बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं और उनके द्वारा खरीद में वरीयता देने संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख) : सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को सुदृढ़ और सहायता प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित शामिल हैं: -

i. दिनांक 29 मई, 2015 की राजपत्रित अधिसूचना में 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पुनरुद्धार और पुनर्वास संबंधी रूपरेखा' (एमएसएमई के लिए एफआरआर) का प्रावधान किया गया है। इसके पश्चात भारतीय रिजर्व बैंक ने उक्त के कार्यान्वयन के लिए दिनांक 17.03.2016 को अपने परिपत्र सं.आरबीआई/2015-16/338 एफआईडीडी के तहत निर्देश जारी किए थे।

ii. 5 लाख करोड़ रुपए तक की क्रेडिट गारंटी के कवर प्रदान करने के प्रावधान के साथ एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की शुरुआत की गई थी। यह स्कीम दिनांक 31.03.2023 तक कार्यशील थी। आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम पर भारतीय स्टेट बैंक की दिनांक 23.01.2023 की अनुसंधान रिपोर्ट के अनुसार लगभग 14.6 लाख एमएसएमई खाते जिनमें से 98.3 प्रतिशत एमएसई श्रेणी से संबंधित थे, को एनपीए होने से बचाया गया।

iii. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के जरिए सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम ताकि एमएसई को सदस्य ऋणदाता संस्थानों द्वारा दिए जाने वाले 10 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी (दिनांक 01.04.2025 से प्रभावी) प्रदान की जा सके।

iv. आत्म निर्भर भारत कोष के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी निवेश।

v. एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए नए संशोधित मानदंड।

vi. 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं।

vii. व्यापार की सुगमता के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का "उद्यम पंजीकरण"

viii. जून 2020 में "चैंपियंस" नामक एक ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया गया, जिसमें शिकायतों के निवारण और लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता प्रदान करने सहित ई-गवर्नेंस के कई पहलुओं को शामिल किया गया है।

ix. खुदरा और थोक व्यापारियों के साथ-साथ स्ट्रीट वेंडरों को भी प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का लाभ उठाने के लिए एमएसएमई के रूप में समावेशन।

x. एमएसएमई की स्थिति में ऊर्ध्वगामी परिवर्तन होने पर गैर-कर लाभ 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिए जाते हैं।

xi. अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए औपचारिक दायरे में लाने हेतु उद्यम असिस्ट प्लेटफार्म (यूएपी) का शुभारंभ दिनांक 11.01.2023 को किया गया।

(ग) : सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, ऐसी विभिन्न योजनाओं को समरूपी, समन्वित और अभिसारित करने के समग्र दृष्टिकोण के साथ एमएसएमई चैंपियंस योजना को लागू करता है, जिनका उद्देश्य एक समान है। इसका अंतिम लक्ष्य उद्यमों का चयन करना, उनकी प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करना, अपव्यय को कम करना, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर उनकी पहुंच और उत्कृष्टता अर्जन को सुगम बनाना है। एमएसएमई चैंपियंस योजना के अंतर्गत तीन घटक हैं: एमएसएमई-सस्टनेबल (जेड) प्रमाणन योजना, एमएसएमई-प्रतिस्पर्धी (लीन) योजना और एमएसएमई-नवाचार (इनक्यूबेशन, डिजाइन एवं आईपीआर) योजना।

(घ) : लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले लघु एवं मध्यम उद्यमों का विवरण निम्नलिखित है:

i. उद्यम और यूएपी पर पंजीकृत एमएसएमई की संख्या और उनसे सृजित अनुमानित रोजगार का विवरण निम्नलिखित है:

उद्यम और यूएपी पर दिनांक 01.07.2020 से 30.11.2025 तक पंजीकृत एमएसएमई		
	पंजीकृत एमएसएमई की संख्या	अनुमानित रोजगार सृजन
अखिल भारत	7,23,32,260	31,66,13,901
तमिलनाडु	57,86,295	2,99,45,213

ii. लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए सीजीएस के तहत स्वीकृत ऋण गारंटी और अनुमानित रोजगार सृजन का विवरण निम्नलिखित है:

सीजीएस- अनुमोदित गारंटियां			
वर्ष 2000 में शुरूआत से लेकर दिनांक 30.11.2025 तक का संचयी आंकड़ा			
	अनुमोदित गारंटियों की संख्या	अनुमोदित राशि (करोड़ रुपए में)	अनुमानित रोजगार सृजन (लाख में)
अखिल भारत	1,30,63,982	11,84,872	361
तमिलनाडु	9,87,608	88,744	64

iii. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत लाभान्वित इकाइयों की संख्या का विवरण निम्नलिखित है:

पीएमईजीपी			
स्थापना से लेकर वित्त वर्ष 2024-25 तक का संचयी आंकड़ा			
	सहायता प्राप्त इकाइयों की सं.	मार्जिन मनी सब्सिडी (करोड़ रुपए में)	अनुमानित रोजगार सृजन
अखिल भारत	10,71,014	29,249	87,25,194
तमिलनाडू	70,520	1,828	6,55,203

(ङ) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने राजपत्र अधिसूचना संख्या का.आ. 581(असा.), दिनांक 23 मार्च, 2012 के माध्यम से लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति, आदेश, 2012 को अधिसूचित किया। इस नीति (2018 में संशोधित) के अनुसार केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा एमएसई से 25% वार्षिक खरीद अनिवार्य है, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसई से 4% और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से 3% खरीद शामिल है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, एमएसई के उत्पादों और सेवाओं की विपणन क्षमता और बाजार तक पहुंच बढ़ाने के लिए खरीद एवं विपणन सहायता (पीएमएस) योजना लागू करता है। यह योजना राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों के आयोजन/भागीदारी, विक्रेता विकास कार्यक्रम (वीडीपी), ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म (एमएसएमई ग्लोबल मार्ट) को अपनाने, बारकोड को अपनाने और राष्ट्रीय कार्यशालाओं/संगोष्ठियों जैसे बाजार पहुंच संबंधी पहलों का समर्थन करती है।

इसके अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों/खरीदार-विक्रेता बैठकों में भाग लेने और भारत में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं के आयोजन में सहायता प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। इस योजना के अंतर्गत, पहली बार निर्यात करने वाले सूक्ष्म एवं लघु निर्यातकों को निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) के साथ पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणन (आरसीएमसी), निर्यात बीमा प्रीमियम और निर्यात के लिए परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन हेतु वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में निर्यात प्रोत्साहन के लिए एक समर्पित सहायता प्रणाली विकसित की है, जिसके तहत उसने अपने क्षेत्रीय संगठनों जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम-विकास कार्यालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम प्रौद्योगिकी केंद्र और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम परीक्षण केंद्र में 65 निर्यात सुविधा केंद्र (ईएफसी) स्थापित किए हैं।

*****